राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी — मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर— 266 / 2024
GCMS No. 2024 / 505

प्रदीप पुत्र नर सिंह जाति गुर्जर निवासी मेहाड़ा गुजरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.

........वादी

ब—ना—म

1. रामस्वरूप पुत्र बुजाराम
2. रामदेव पुत्र सुरजाराम
3. जगदीश पुत्र भाताराम
   जाति गुर्जर निवासी मेहाड़ा गुजरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.
4. इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा मेहाड़ा जाटवास जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक नाम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व

धारा 136 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादी — श्री ग्यारसीलाल गुर्जर

:: निर्णय :: दिनांक :— 07:10:2025

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम मेहाड़ा गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 221 के ख.नं. 1486 / 339 रकबा 0.05 है., ख.नं. 288 रकबा 0.54 है., ख.नं. 291 रकबा 0.25 है., ख.नं. 292 रकबा 0.30 है., ख.नं. 293 रकबा 0.81 है., ख.नं. 337 रकबा 0.60 है., ख.नं. 339 रकबा 1.06 है. कुल किता 7 कुल रकबा 3.61 है. भूमि का वादी का पिता संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि में वादी के पिता का 1 / 16 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी के पिता का सही नाम नर सिंह पुत्र भाताराम है जो वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड व ग्राम मेहाड़ा गुजरवास स्थित भूमि खाता सं. 222 में दर्ज है लेकिन उक्त वर्णित भूमि में नरसिंगा पुत्र भाताराम दर्ज हो [illegible] गलत है जबकि सही नाम नर सिंह पुत्र भाताराम है। वादी के पिता का स्वर्ग[illegible] हो [illegible] का है। राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम गलत दर्ज होने [illegible] उसके [illegible] बहिनों के नाम से विरासतन नामांतकरण दर्ज नहीं हो रहा है जिससे वादी [illegible] इस कारण वादी को नाम दुरूस्ती की घोषणा करवाने के लिए वाद [illegible] पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:14:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मेहाड़ा गुजरवास तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 221 के ख.नं. 1486/339 रकबा 0.05 है., ख.नं. 288 रकबा 0.54 है., ख.नं. 291 रकबा 0.25 है., ख.नं. 292 रकबा 0.30 है., ख.नं. 293 रकबा 0.81 है., ख.नं. 337 रकबा 0.60 है., ख.नं. 339 रकबा 1.06 है. कुल किता 7 कुल रकबा 3.61 है. में दर्ज वादी के पिता का नाम नरसिंगा पुत्र भाताराम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर नर सिंह पुत्र भाताराम घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 5 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2025/2113 दिनांक 14.08.2025 से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का नांगलिया गुर्जरवास की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में मृत्यु प्रमाण पत्र नरसिंह, फोटो प्रति आधार कार्ड नरसिंह, प्रदीप, नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. 222, खाता सं. 221 ग्राम मेहाड़ा गूरजवास पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र प्रदीप पुत्र नर सिंह, रामस्वरूप पुत्र बुजाराम के पेश किये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, खेतड़ी व पटवारी हल्का नांगलिया गुर्जरवास की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः 2113 दिनांक 14.08.2025 की जांच रिपोर्ट के द्वारा ग्राम मेहाड़ा गुजरवास के खाता सं. 221 में नरसिंगा पुत्र भाताराम के स्थान पर नर सिंह पुत्र भाताराम किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **मेहाड़ा गूरजवास** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 221 में वादी के पिता नाम का वर्तमान में दर्ज **''नरसिंगा पुत्र भाताराम''** के स्थान पर **''नर सिंह पुत्र भाताराम''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खाते में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ......07.10.2025...... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:14:49 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

सीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

उनवान

प्रदीप

ब–ना–म

रामस्वरूप आदि

बाबत घोषणात्मक **नाम दुरूस्ती**

दमा नम्बर :– **266 / 2024** **GCMS No. 2024 / 505**

य दिनांक :– ...07.10.2025.....

वादी की ओर से **श्री ग्यारसीलाल गुर्जर एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .....07.10.2025...... को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मेहाड़ा गूरजवास तहसील खेतड़ी त भूमि हाल खाता संख्या नया 221 में वादी के पिता नाम का वर्तमान में दर्ज "नरसिंगा भाताराम" के स्थान पर "नर सिंह पुत्र भाताराम" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर तेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खाते में शेष ष्टियां यथावत् रहेंगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ....07.10.2025.......... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की दा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:14:49 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं